News Appeared in News Paper Asli Azadi on 07/02/2018

दानह में शिक्षा संस्थानों के 100 मीटर दायरे में सिगरेट, गुटखा, बीडी समेत की बिक्री प्रतिबंध पर जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश

सिलवासा, 6 फरवरी। संघ प्रदेश दादरा व नगर हवेली में बडी संख्या में स्कूल, कॉलेज व शिक्षा संस्थान आये है। दानह के जिला मजिस्ट्रेट कन्नन गोपीनाथन ने आदेश जारी करते हुए बताया है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिगरेट, गुटखा, पान-मसाला, बीडी सहित की बिक्री इस संस्थानों के नजदीक किए जाने की जानकारी मिली है। सीआरपीसी की धारा 144 अंतर्गत अधिकारों का उपयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट कन्नन गोपीनाथन ने दानह में स्थित सभी शिक्षा संस्थानों के 100 मीटर दायरे में सिगरेट, गुटखा, बीडी समेत की बिक्री पर प्रतिबंध जारी किया है जो कि 3 फरवरी 2018 से 60 दिनों के लिए यानि 3 अप्रैल 2018 तक लागू होंगे। इस आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

दानह के सभी रेसीडेंशियल कॉम्पलेक्सों में लगाएं जाएं सीसीटीवी : जिला मजिस्ट्रेट कन्नन गोपीनाथन

▪ प्रदेश में गुनाहों पर लगाम कसने के लिए जारी किया गया आदेश

सिलवासा, 6 फरवरी। संघ प्रदेश दादरा व नगर हवेली में बडी संख्या में रेसिडेंशियल कॉम्पलेक्स आये है लेकिन इन कॉम्पलेक्सों में असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने के लिए पूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। सीआरपीसी की धारा 144 अंतर्गत अधिकारों का उपयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट कन्नन गोपीनाथन ने दानह में स्थित सभी रेसिडेंशियल कांप्लेक्षो तथा सोसायटियों में सीसीटीवी लगाने के आदेश जारी किए है। यह आदेश हाल में 3 फरवरी 2018 से 60 दिनों के लिए यानि 3 अप्रैल 2018 तक लागू होंगे। इस आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कंपनियों व इकाईयों में काम कर रहे श्रमिकों के पहचान प्रमाण व पहचान पत्र होना अनिवार्य : जिला मजिस्ट्रेट कन्नन गोपीनाथन

▪ सभी कोंट्राक्टरों व इकाई मालिकों को जारी किए आदेश

सिलवासा, 6 फरवरी। संघ प्रदेश दादरा व नगर हवेली में स्थित इकाईयों व कंपनियों में बडी संख्या में श्रमिक व कर्मचारी काम कर रहे है। कई बार उनके पास पहचान पत्र नहीं होने के कारण किसी घटना दौरान उनकी पहचान करना पुलिस के लिए चिंता का विषय बन जाता है। सीआरपीसी की धारा 144 अंतर्गत अधिकारों का उपयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट कन्नन गोपीनाथन ने दानह में स्थित कंपनियों, ईकाईयों के मालिकों तथा श्रमिकों के कोंट्राक्टरों को उनके द्वारा नियुक्त सभी श्रमिको तथा कर्मचारियों के पहचान प्रमाण रखने के आदेश दिए है और साथ साथ उन्हें पहचान पत्र भी जारी करने के आदेश दिए है। यह आदेश हाल में 3 फरवरी 2018 से 60 दिनों के लिए यानि 3 अप्रैल 2018 तक लागू होंगे। इस आदेश की अवहेलना करनेवाले व्यक्ति के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सिलवासा-नरोली चार रास्ता, झंडा चौक और किलवणी नाका के 100 मीटर परिक्षेत्र में धारा 144 लागू

सिलवासा 6 फरवरी। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली जिला मजिस्ट्रेट कन्नन गोपीनाथन ने सिलवासा-नरोली चार रास्ता, झंडा चौक और किलवणी नाका के 100 मीटर के परिक्षेत्र में धारा 144 लागू की है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि यह स्थान सबसे व्यस्त यातायात जंक्शन है और किसी भी तरह की अवरोध से संघ प्रदेश के अन्य सभी विस्तारों से कनेक्टिविटी में बाधा उत्पन्न हो सकती है । अतः इन विस्तारों में धरना, रैली, सभा सहित सूत्रोच्चार को प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश 3 फरवरी 2018 से प्रभाव में आकर 60 दिनों तक यानि 3 अप्रैल 2018 तक लागू रहेगा। जारी आदेशानुसार किसी भी राजनैतिक पार्टी, निजी संगठन या गुट द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया की जाती है तो उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

सिलवासा सचिवालय एवं कलेक्टर कार्यालय के 100 मीटर परिक्षेत्र में धारा 144 लागू

▪ धरना, रैली, सभा सहित सूत्रोच्चार करने पर 3 अप्रैल तक प्रतिबंध

सिलवासा, 6 फरवरी। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली जिला मजिस्ट्रेट कन्नन गोपीनाथन ने सिलवासा सचिवालय एवं कलेक्टर कार्यालय के 100 मीटर के परिक्षेत्र में धारा 144 लागू की है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि इस विस्तार में धरना, रैली, सभा सहित सूत्रोच्चार को प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश 3 फरवरी 2018 से प्रभाव में आकर 60 दिनों तक यानि 3 अप्रैल 2018 तक लागू रहेगा। जारी आदेशानुसार किसी भी राजनैतिक पार्टी, निजी संगठन या गुट द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया की जाती है तो उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जायेगी। आदेशानुसार दानह एसपी द्वारा सचिवालय और कलेक्टर कार्यालय पर दिन-रात पर्याप्त मात्रा में पुलिस कार्मिक तैनात करेंगे।